

विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव,
मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-27 का उत्तर।

प्रश्न

27 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण निगम लि० राजाजीपुरम, लखनऊ को सम्बोधित लक्ष्मण विहार पारा रोड लखनऊ के अध्यासियों का कमशः पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2024, 20 जनवरी, 2025 व 07 फरवरी, 2025 निष्प्रयोज्य बिजली के पोल हटाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है?

(ख) यदि हाँ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं?

(ग) क्या उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार कार्यवाही करायेंगे?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हाँ।

पत्र में मुख्यतः लक्ष्मण विहार पारा रोड के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य बिजली के पोल खम्भे हटाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त लाइन 132 के०वी० सबस्टेशन टी०आर०टी० से 33/11 के०वी० उपकेन्द्र आर०डी०एस०ओ० तक जाती है। यह एक वैकल्पिक लाइन है जिसका प्रयोग मुख्य लाइनों के बन्द होने की आपातकालीन स्थिति में ही किया जाता है। अतः उक्त लाइन में प्रयुक्त बिजली के खम्भों को हटाया जाना सम्भव नहीं है। जमा योजना में लाइन शिफ्ट किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

ए. के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।